

**न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)**  
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत  
**परमिशन वाद संख्या 314 वर्ष 2022**

आवेदक-गंगा राम महतो

क्रेता-शैलेन्द्र महतो

ग्राम - पोरदाग

ग्राम- बांगा

थाना - पेटरवार जिला-बोकारो

थाना -पेटरवार जिला- बोकारो

आदेश की क्र०  
10 एवं तारीख  
01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख के  
साथ।  
03

**आदेश**

यह वाद आवेदक गंगा राम महतो पिता स्व० मुंशी महतो निवासी ग्राम पोडदाग थाना पेटरवार जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:-

| मौजा   | थाना न० | खाता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा |
|--------|---------|---------|----------|----------|-------------|------------|
| पोडदाग | 26      | 10      | 278      | 02 डी०   | 02 डी०      | आ० योग्य   |

को वे अपने आवश्यक कार्य हेतु मो० 8,50,000/- ( आठ लाख पचास हजार ) रुपये में क्रेता- शैलेन्द्र महतो पिता मोहन महतो निवासी ग्राम बांगा थाना पेटरवार जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक, 1174/रा०, दिनांक 12.12.2022 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, पेटरवार के पत्रांक 285 दिनांक 22.02.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता का मूल एवं वर्तमान ग्राम पोडदाग एवं क्रेता का मूल एवं वर्तमान ग्राम बांगा थाना पेटरवार जिला-बोकारो का निवासी है।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में देयाल महतो वलद भिखारी महतो के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी खतियानी रैयत के वंशज हरिचरण महतो, रघु महतो वगैरह के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं० 1/4 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि खतियान द्वारा हासिल है।
03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का दादा एवं परदादा-परपोता का संबंध है। बिक्री वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन के नाम से देयाल महतो वलद भिखारी महतो सर्वे



खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी हरिचरण महतो, रघु महतो वगैरह के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन उसके हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता- देयाल महतो वल्द भिखारी महतो के नाम सर्वेखतियान की छायाप्रति, हरिचरण महतो, रघु महतो वगैरह के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।
02. क्रेता- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही ग्राम थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक गंगा राम महतो पिता स्व० मुंशी महतो निवासी ग्राम पोडदाग थाना पेटरवार जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

| मौजा                                      | खाता न० | प्लॉट न० | कुल रकबा | बिक्री रकबा | उत्तर सीमा | दक्षिण सीमा | पूरब सीमा    | पश्चिम सीमा  |
|-------------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|
| पोडदाग                                    | 10      | 278      | 02 डी०   | 02 डी०      | एन०एच० रोड | नीज आवेदक   | पारसनाथ महतो | नीज विक्रेता |
| <b>कुल 02 डी० (दो) डिसमिल जमीन मात्र।</b> |         |          |          |             |            |             |              |              |

मो० 8,50,000/- ( आठ लाख पचास हजार ) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-शैलेन्द्र महतो पिता मोहन महतो निवासी ग्राम बांगा थाना पेटरवार जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
बेरमों (तेनुघाट)।